संख्या–BSD/SDI-25/2016- 1072
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव–
सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

सेवा में,

सभी SDC Coordinator/Owner
सभी BSDC Coordinator/Owner

पटना, दिनांक– 29/12/2017

विषयः– कुशल युवा के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में किये जा रहे परिवर्त्तन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 1 मार्च, 2018 से प्रारंभ होने वाले बैच हेतु कुशल युवा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा रहा है । इस हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण के तरीके में निम्न परिवर्त्तन किये जा रहें हैं :–

1. **Changes in KYP & Era**

पूर्व की भाँति कुशल युवा पाठ्यक्रम के 3 अंग होंगे, यथा– Bihar State Certificate in Information Technology(BS-CIT), Bihar State Certificate in Language Skills (BS-CLS) तथा Bihar State Certificate in Soft Skills(BS-CSS). नया पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध करा दिया गया है ।

नये पाठ्यक्रम हेतु Era Software का एक नया संस्करण (Version) मार्च, 2018 से प्रारंभ होने वाले बैच के लिए आरंभ किया जा रहा है, ताकि प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त हो सके । नया Software भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है।

2. **LF Training by Master Trainers**

चूँकि मार्च, 2018 से प्रारंभ होने वाले बैच से एक नये संस्करण का Era Software एवं नया पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, अतः आपके केन्द्र के सभी Learning facilitators के कौशल में भी उन्नयन किये जाने की आवश्यकता है ताकि वे नये पाठ्यक्रम के अनुसार सुचारू एवं संयोजित ढंग से प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण करा सकें । इस उद्देश्य से बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा नये Era Software/नये पाठ्यक्रम पर सभी Learning facilitator का तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कराया जाना प्रारंभ किया गया है । इस हेतु वर्तमान में 90 Learning facilitators का प्रशिक्षण मुख्यालय स्थित दीप नारायण संस्थान में कराया जा चुका है ।

इस प्रशिक्षण हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा Master Trainers का चयन किया गया है तथा उनका TOT MKCL मुख्यालय पुणे में कराया गया है । Learning facilitators के तीन दिवसीय प्रशिक्षण में सभी LF को भाग लेना आवश्यक है । प्रशिक्षण शुल्क के रूप में प्रति केन्द्र प्रति Learning facilitator ₹2,000/– की राशि वसूल की जायेगी जो इस संबंधित SDC/BSDC के अगले माह के Invoice से कटौती कर ली जायेगी । केन्द्र पर कार्यरत सभी Learning facilitator को यह उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा जिस केन्द्र के Learning facilitator बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण में सम्मलित नहीं होगें उस केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन अवरुद्ध कर दिया जायेगा ।

यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात Learning facilitator को नये OnCeT परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहूलियत प्राप्त होगी, उनके स्वयं के कौशल का उन्नयन होगा तथा वे इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान कर सकेगें ।

3. **CLICKERS**

कुशल युवा कार्यक्रम के Classroom session के गुणवत्ता एवं स्तर में सुधार हेतु Clickers facility प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । इसके तहत क्लास रुम सत्र में कतिपय प्रश्न क्लास रुम के प्रोजेक्टर/स्क्रीन पर दिखाये जायेगें, जिसका उत्तर प्रशिक्षणार्थियों को अपने मोबाईल फोन के माध्यम से देना होगा । यह सत्र अनिवार्य(Mandatory)होगा तथा इसके लिए एक स्मार्ट मोबाईल फोन wi-fi की सुवधा के साथ प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के पास होना अनिवार्य होगा । यदि किसी प्रशिक्षणार्थी के पास स्वयं का स्मार्ट फोन उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में संबंधित SDC/BSDC को Second hand wi-fi सुविधायुक्त बिना सिम का पुराना/नया स्मार्ट मोबाईल फोन क्रय कर प्रशिक्षणार्थियों को क्लास रुम सेशन हेतु उपलब्ध कराना होगा । यह स्मार्ट फोन SDC/BSDC की सम्पत्ति होगी जो प्रत्येक क्लास रुम सत्र में वैसे प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके पास स्वयं का स्मार्ट फोन नहीं है तथा क्लास रुम सत्र के पश्चात पुनः संबंधित केन्द्र के द्वारा इसे प्रशिक्षणार्थियों से जमा करा लिया जायेगा । सभी SDC/BSDC की यह व्यक्तिगत जवाबदेही होगी की उनके केन्द्र पर क्लास रुम सत्र सुचारु रुप से संचालित हो रहा है तथा किसी स्तर के जाँच में यदि यह पाया जाता है कि उनके केन्द्र पर क्लास रुम सत्र संचालित किये जाने में कोताही बरती जा रही है तो ऐसे केन्द्रों को बंद किये जाने की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी तथा वित्तीय वर्ष 2018 से उनके केन्द्र का renewal नहीं किया जायेगा ।

4. **तकनीकी संस्थान के छात्रों को केन्द्र पर सीधे नामांकन की सुविधा**

राज्य सरकार के द्वारा तकनीकी संस्थानों यथा– ITI, Polytechnic, अभियंत्रण महाविद्यालय, ANM/GNM स्कूल तथा अन्य पारामेडिकल संस्थानों के अध्ययनरत छात्रों को कुशल युवा का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है । ऐसे छात्रों को कुशल युवा का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु DRCC के Portal पर पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु ऐसे इच्छुक प्रशिक्षणार्थी सीधे संबंधित SDC पर हीं अपना नामांकन करा सकते हैं । इन संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों का कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रत्येक दिन 2 घंटे के हिसाब से 6 माह में पूर्ण होगा तथा यह 2 घंटे का सत्र प्रत्येक केन्द्र पर संध्याकालीन सत्र के रुप में जाना जायेगा । 2 घंटे के सत्र को प्रारंभ किये जाने के उद्देश्य से तत्काल संध्या सत्र में नामांकन को जनवरी माह से रोक दिया गया है तथा प्रत्येक केन्द्र के लिए Intake capcity को घटाकर 80 की कर दी गयी है । इस संबंध में पूर्व में विस्तृत दिशा निदेश आपको भेजा जा चुका है ।

5. **बायोमेट्रिक उपस्थिति**

ऐसा पाया जा रहा है कि SDC/BSDC केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों का daily basis पर बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं दर्ज करायी जा रही है । बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं दर्ज कराये जाने को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया है । बायोमेट्रिक उपस्थिति का daily basis पर अनुपालन नहीं करने वाले केन्द्रों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई प्रारंभ की गयी है, जो उनके Invoice से राशि कटौती के साथ–साथ गंभीर मामले में केन्द्र को बंद कर दिये जाने से संबंधित होगा ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त अंकित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए दिये गये निदेशो का अपने केन्द्र पर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।